ऑन लाईन नं. RCMS 2013/00060

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टबर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : रीना, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 21/2013

1. राजस्थान सरकार जरिए ातहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर। अपीलार्थी

बनाम

1. चरण सिंह पुत्र किशन सिंह जाति जटसिख निवासी 8 एलएल तहसील श्रीगंगरानगर (मृतक) आदेश अदालत 10.05.2012 से वारिसान
1/1 बलविन्द्र सिंह पुत्र चरण सिंह निवासी 8 एलएल तहसील श्रीगंगानगर (पहले से रिकॉर्ड पर)
1/2 कुलविन्द्र सिंह पुत्र चरण सिंह निवासी 8 एलएल तहसील श्रीगंगानगर (पहले से रिकॉर्ड पर)
1/3 सुखविन्द्र कौर पत्नी चरण सिंह निवासी 8 एलएल तहसील श्रीगंगानगर।
1/4चरणजीत कौर पुत्री चरण सिंह निवासी 8 एलएल तहसील श्रीगंगानगर।
1/5 बलवीर कौर पुत्री चरण सिंह निवासी 8 एलएल तहसील श्रीगंगानगर।
1/6 राजेन्द्रसिंह पुत्र चरण सिंह निवासी 8 एलएल तहसील श्रीगंगानगर (पहले से रिकॉर्ड पर)
2. निरवेर सिंह पुत्र किशन सिंह जाति जटसिख साकिन 8 एलएल तहसील श्रीगंगानगर।
3. अमरजीत सिंह पुत्र किशन सिंह जटसिख साकिन 8 एलएल तहसील श्रीगंगानगर।
4. नक्षत्र सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह जटसिख साकिन 8 एलएल तहसील श्रीगंगानगर।
5. जोगेन्द्र कौर पत्नी स्वर्ण सिंह जटसिख साकिन 8 एलएल तहसील श्रीगंगानगर।
6. बलविन्द्र सिंह पुत्र चरण सिंह जटसिख साकिन 8 एलएल तहसील श्रीगंगानगर।
7. राजेन्द्र सिंह पुत्र चरण सिंह जटसिख साकिन 8 एलएल तहसील श्रीगंगानगर।
8. कुलविन्द्र रिंह पुत्र चरण सिंह जटसिख साकिन 8 एलएल तहसील श्रीगंगानगर।
9. कशमीर सिंह पुत्र उधम सिंह जटसिख साकिन 8 एलएल तहसील श्रीगंगानगर।
10. जसवन्त सिंह पुत्र अमरजीत सिंह जटसिख साकिन 8 एलएल तहसील श्रीगंगानगर।
11. सुखवैन सिंह पुत्र निरवेर सिंह जटसिख साकिन 8 एलएल तहसील श्रीगंगानगर।
12. जसविन्द्र सिंह पुत्र निरवेर सिंह जटसिख साकिन 8 एलएल तहसील श्रीगंगानगर।
13. गुरदास कौर जोजा अमरजीत सिंह जटसिख साकिन 8 एलएल तहसील श्रीगंगानगर।
14. सन्त कौर जोजा निरवेर सिंह जटसिख साकिन 8 एलएल तहसील श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश नायबा तहसीलदार चूनावढ दिनांक 12.01.2005 जिसकी रूह से रेस्पोडेन्ट में जोत विभाजन करते समय गलत तौर से आदेश जेर अपील पारित किया गया है बमुराद मन्सुखीया।

उपस्थित :
1. श्री गुरजीत सिंह वानर राजकीय अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

:: आदेश :: दिनांक :–20.01.2025

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

अपील अपीलान्ट निम्नलिखित हैः–

1. यह कि आदेश जैर अपील जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि शामिल हाजा है गलत खिलाफ कानून खिलाफ वाकेआत तथा रूएदाद मिसल के है इसलिए काबिल इखराजी के है।
2. यह कि रकबा रेस्पोडेन्ट 1 ता 14 सभी का होने का कथन किया गया है मगर विभाजन मे 1 अमरजीतसिंह 2– निरवैल सिंह 3– चरण सिंह 4– बलविन्द्रसिंह 5 राजेन्द्रसिंह 6– कुलविन्द्रसिंह 7 – नक्षत्र सिंह 8 जसवन्तसिंह 9– सुखचैन सिंह 10 कशमीर सिंह के नाम ही विभाजन मे रकबा दर्ज किया गया है, इस प्रकार से शेष 4 रेस्पोडेन्ट का रकबा स्पष्ट तौर से उक्त 10 को ही दिया गया है जो कि स्पष्ट तौर से गिफट की परिभाषा में आता है तथा गिफट के लिए अदालत मातहत को इस प्रकार से आदेश पारित करने का अधिकार नहीं था क्योकि गिफट के लिए गिफट डीड का लिखा जाना व रजि० करवाना आवश्यक होता है। अतः स्टाम्प चोरी रजि० शुल्क की बचत करने के लिए ही विभाजन का नाम दिया गया है। अतः आदेश जैर अपील गलत है तथा इससे राजस्थान सरकार को राजस्व की स्पष्ट हानि पहुँचाई गई है अतः आदेश जैर अपील निरस्त करने योग्य है।
3. यह कि परिवारिक विभाजन के दस्तावेज का सावधानी पूर्वक अवलोकन भी नहीं किया गया है इसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस पर हस्ताक्षर खाली स्टाम्प व कागजों पर पहल से ही करवाए हुए थे तथा बाद में विभाजन को लिखा गया है जोकि स्पष्ट तौर से ही घोखे आदि का मामला भी बनता है। वरना दस्तावेज लिखवाने वालो के नाम के नीचे अथवा ऊपर हस्ताक्षर होने चाहिए था इस प्रकार से पेज के एक और हस्ताक्षर नहीं करवाए जा सकते है। अतः यह स्पष्ट तौर से गलत कार्यवाही होना स्पष्ट है मगर इस पर गौर नहीं किया गया है।
4. यहकि यह दस्तावेज किसी प्रकार से सहमति से विभाजन का कानुनन नहीं माना जा सकता है क्योंकि इस प्रकार के विभाजन का अधिकार केवल सहायक जिलाधीश /उपजिलाधीश को ही होता है। अतः आदेश जैर अपील गलत पारित किया गया है जो कि शुन्य है जो बिना अधिकार के पारित किया गया है।
5. यहकि पटवारी हल्का ने रिपोर्ट मी जान बूझकर गलत की है तथा अदालत मातहत ने इसका मी सावधानी से अवलोकन ही नहीं किया है। अतः आदेश जैर अपील गलत है।
6. यहकि सहमति का जो शपथ–पत्र पेश किया गया है उस पर मी एक साईड में ही हस्ताक्षर है जोकि यही स्पष्ट करते है कि पहले से ही खाली स्टाम्प अथवा कागजात पर करवाए गए तथा बाद मै दस्तावेज को लिखा गया है।
7. यहकि अदालत मातहत ने जमाबन्दीयों का मी सावधानी पूर्वक अवलोकन नही किया गया है इनके अवलोकन से मी यह स्पष्ट है कि समी की सहमति से विभाजन नहीं हुआ है जबकि किला वाईज विभाजन सभी की सहमति से ही किया जा सकता है। अन्य सहखातेदारो की सहमति अंकित नहीं है। अतः जमाबन्दी मे दर्ज सभी को बुलाया जाना जरूरी है क्योंकि अदालत मातहत में केवल रेस्पा० ही पक्षकार रहे है । अतः अपील मे पक्षकार इन्ही को बनाना जरूरी होने के कारण खातो के अन्य सहखातेदारों का पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है। मगर सभी को बुलाया जाकर सुना जाना न्यायहित मे जरूरी होगा।
8. यहकि जौत विभाजन में जिलाधीश गंगानगर के जिस पत्र क्रमांक 77 62–80 दिनांक 5–11–97 का क्थन किया गया है उसकी मन्शा किसी तरह से इस प्रकार का जोत विभाजन करने की नही रही है, ना ही यह धारा 53 आर टी एक्ट के प्रावधानौ के अन्तर्गत इस प्रकार का जोत विमाजन कानुनन किया जा सकता है कि किसी खातेदार की उसके हिस्सा का रकबा ही ना दिया जावे तथा बिना अन्य सह–खातेदारो की सहमति के ही खाता का विमाजन कर दिया जावे। यह केवल साक्ष्य लेकर उपजिलाधीश के द्वारा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा०) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

ही किया जा सकता है जो कि घोषणा व विभाजन के दावा मे ही किया जा सकता है अदालत मातहत को ऐसा अधिकार कानुनन नहीं था।

9. यहकि आदेश जैर अपील होने के बाद पत्रावली विधि परीक्षण में जाने तथा जाँच के लिए अन्य 9 पत्रावलीयों के साथ जाने व जाँच रिपोर्ट 7–5–10 को आने व इस पर जिलाधीश गंगानगर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2446 दिनांक 17–5–10 से अपील करने का लिखने व मन तहसीलदार नरेगा कार्य जनगणना कार्य व तूडी की टाल हटाने के कार्य यानि राजकीय कार्य में अति व्यस्त रहने व पत्रावली सामने ना पाने व आने पर तुरन्त 22–6–10 को नकल हासिल कर अपील पेश की जा रही है जोकि इससे अन्दर मियाद पेश है। दरखास्त दफा 5 एक्ट मियाद व हलफनामा पेश किया जा रहा है। शुन्य आदेश के खिलाफ का कानूनन अपील की मियाद नहीं होती है।

लिहाजा अपील अपीलान्ट पेश करके अर्ज है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जाये व इसके आधार पर हुई आगामी कार्यवाही इन्तकाल आदेश को भी समाप्त करने का आदेश फरमावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि नायब तहसीलदार चुनावढ द्वारा अपने आदेश दिनांक 12.01.2005 द्वारा विभाजन का आदेश सभी पक्षकारों के नाम से करने का पारित किया गया है, मगर वास्तव में विभाजन अमरजीत सिंह–निरवेल सिंह–चरण सिंह–बलविन्द्र सिंह–राजेन्द्र सिंह–कुलविन्द्र सिंह–नक्षत्र सिंह–जसवन्त सिंह –सुखचैन सिंह–कश्मीर सिंह कुल 10 काश्तकारों के मध्य किया जाकर रकबा दर्ज किया गया है, जो कि स्पष्ट तौर पर गिफट की परिभाषा में आता है। गिफट के लिए अधीनस्थ न्यायलाय को आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं था। गिफट के लिए गिफट डीड को रजि0 करवाना आवश्यक होता है। स्टाम्प चोरी रजि0 शुल्क की बचत करने के लिए ही विभाजन का नाम दिया गया है। अतः आदेश जेर अपील गलत पारित किया गया है, इससे राज्य सरकार को अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा राजस्व की स्पष्ट हानि पहुंचाई गई है। परिवारिक विभाजन के दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन नहीं किया गया है, पारिवारिक विभाजन के दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस पर हस्ताक्षर खाली स्टाम्प व कागजों पर पहल से ही करवाए हुए थे तथा बाद में विभाजन को लिखा गया है जोकि स्पष्ट तौर से ही घोखे आदि का मामला भी बनता है। सहमति का जो शपथ–पत्र पेश किया गया है उस पर मी एक साईंड में ही हस्ताक्षर है जोकि यही स्पष्ट करते है कि पहले से ही खाली स्टाम्प अथवा कागजात पर हस्ताक्षर करवाए गए तथा बाद मै दस्तावेज को लिखा गया है। लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश जेर अपील निरस्त किया जावें व इसके आधार पर भरा गया इन्तकाल भी निरस्त किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र 08.01.2004 पारिवारिक जोत विभाजन अनुसार बंटवारा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु सभी सहकाश्तकारान द्वारा पेश किया गया था। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा मौका पर काश्त अनुसार रिपोर्ट की गई थी। सहमति के बंटवारा में सभी काश्तकार उपस्थित आये थे। राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद सहमति के अनुसार ही हुआ है। तहसीलदार सहमति के आधार पर बंटवारा करने हेतू सक्षम है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.01.2005 बहाल रखा जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि नायब तहसीलदार (भू0अ0) चूनावढ द्वारा प्रार्थीगण चरण सिंह–अमरजीत सिंह पिसरान किशन सिंह, नक्षत्र सिंह वल्द स्वर्ण सिंह, जोगेन्द्र सिंह बेवा श्री स्वर्ण सिंह , बलविन्द्र सिंह–राजेन्द्र सिंह–कुलविन्द्र सिंह पिसरान चरण सिंह, कश्मीर सिंह पुत्र श्री उधम सिंह, जसवन्त सिंह पुत्र अमरजीत सिंह, सुखचैन सिंह– बलविन्द्र सिंह पिसरान निरवेल सिंह, गुरदास कौर पत्नी

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अमरजीत सिंह, सन्तकौर पत्नी निरवैल सिंह जातियान जटसिख साकिन 8 एलएल के प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पारिवारिक जोत विभाजन , शपथ पत्र के आधार पर एवं श्रीमान जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर के आदेश कमांकः/एफ/12/(1)/ 10/राजस्व/77/7752–7780 दिनांक 05.11.1997 का हवाला देकर राजस्थान भू0 जोत अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत आदेश कमांक :भू0अ0/बंटवारा/2004/11,12 दिनांक 12.01.2005 पारित गया है, जबकि सहमति से जोत विभाजन में सभी काश्तकारों की सहमति होना आवश्यक है। नायब तहसीलदार चूनावढ द्वारा राजस्थान भू0 जोत अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत आदेश कमांक :भू0अ0/बंटवारा/2004/11,12 दिनांक 12.01.2005 पारित करते समय पत्थर नम्बर 12/14 मुरब्बा नम्बर 37 के काश्तकार गुरदयाल सिंह वल्द हजारा सिंह, पत्थर नम्बर 23/26 मुरब्बा नम्बर 48 के काश्तकार गोपाल सिंह वल्द सूरत सिंह, पत्थर नम्बर 27/29 मुरब्बा नम्बर 51,38,48,47,53,52 के काश्तकारान मुखत्यार सिह वल्द हरबंस सिंह, कुलदीप कौर बेवा जगदेव सिंह, सुखदेव सिंह –महेन्द्र सिंह पिसरान जगदेव सिंह जो कि उक्त पारिवारिक जोत विभाजन में दर्ज भूमि में काश्तकार है का नाम ही अंकित नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है कि नायब तहसीलदार चुनावढ द्वारा उक्त पारिवारिक जोत विभाजन आदेश जो पारित किया गया है वह पारिवारिक जोत विभाजन में अंकित काश्तकारों अनुचित लाभ पहुचाने के उदेश्य से आदेश पारित किया गया है जैसा कि तहसीलदार भू0अ0 श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत अपील मिमों में अंकित किया है कि " **विभाजन मे 1 अमरजीतसिंह 2– निरवैल सिंह 3– चरण सिंह 4– बलविन्द्रसिंह 5 राजेन्द्रसिंह 6– कुलविन्द्रसिंह 7 – नक्षत्र सिंह 8 जसवन्तसिंह 9– सुखचैन सिंह 10 कशमीर सिंह के नाम ही विभाजन मे रकबा दर्ज किया गया है, इस प्रकार से शेष 4 रेस्पोडेन्ट का रकबा स्पष्ट तौर से उक्त 10 को ही दिया गया है जो कि स्पष्ट तौर से गिफट की परिभाषा में आता है तथा गिफट के लिए अदालत मातहत को इस प्रकार से आदेश पारित करने का अधिकार नहीं था क्योकि गिफट के लिए गिफट डीड का लिखा जाना व रजि० करवाना आवश्यक होता है। अतः स्टाम्प चोरी रजि० शुल्क की बचत करने के लिए ही विभाजन का नाम दिया गया है।**"

फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार चूनावढ द्वारा पारित आदेश कमांक :भू0अ0/बंटवारा/2004/11,12 दिनांक 12.01.2005 निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर एव नायब तहसीलदार चूनावढ को पालनार्थ भिजवाई जावें एंव रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 20.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रीना)
अति० जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर